

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-385 / 2013

संस्थित दिनांक 08.05.2013

फाई. क्र.234503000252013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बैहर
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

1. देवसिंह मरकाम पिता सम्पतसिंह, उम्र-21 वर्ष,
निवासी-परसाटोला, थाना बैहर, जिला बालाघाट
2. उमर मो0 खान पिता जान मो0खान, उम्र 57 वर्ष
साकिन-परिक्षेत्र सहायक सनतापुर, मुक्की परिक्षेत्र,
कान्हा टाईगर, रिजर्व मण्डला (म0प्र0)

- - - - **आरोपीगण**// **निर्णय** //**(आज दिनांक 05/12/2017 को घोषित)**

01- अभियुक्त देवसिंह मरकाम पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181 के तहत यह आरोप है कि उसने घटना दिनांक 20.03.2014 को समय 06:15 बजे ग्राम मंजीटोला फूलचंद की किराना दुकान के सामने अंतर्गत थाना बैहर लोकमार्ग पर वाहन याम्हा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.02-5919 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत रमनलाल को टक्कर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा आहत पुनिल कुमार को टक्कर मारकर उसके दातों को तोड़कर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया एवं उक्त वाहन को बिना किसी वैध लायसेंस के चलाया तथा आरोपी उमर मोहम्मद खान पर मोटर यान अधिनियम की धारा-5/180 के तहत यह आरोप है कि उसने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को यह जानते हुये कि आरोपी देवसिंह के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं है, फिर भी उसे चलाने हेतु दिया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 20.03.2013 को पुनील अपनी मोटर सायकिल से मण्डला से अपने गांव जगला आ रहा था, तभी ग्राम मंजीटोला में फूलचंद की किराना दुकान के पास मोटर सायकिल याम्हा केक्स क्रमांक एम.पी.02/5919 के आरोपी देवसिंह ने पीछे से तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये लाया और उसकी मोटर सायकिल के आगे चलकर बिना संकेत दिये मोड़ दिया, जिससे उनकी मोटर सायकिल को ठोस लगने से वह और उसके साथ में बैठे रमनलाल गिर गये, जिन्हें ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल बैहर में भर्ती किया गया था। तहरीर जांच उपरान्त आरोपी देवसिंह के विरुद्ध धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा-184 मो.व्ही. एक्ट

का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा-338 भा.द.वि. एवं बिना लायसेंस के वाहन चलाने से मो.व्ही.एक्ट की धारा-3/181 बढ़ाई गई एवं आरोपी उमर मोहम्मद खान द्वारा उक्त वाहन को बिना किसी लायसेंसधारी व्यक्ति को चलाने देने से उसके विरुद्ध मो.व्ही. एक्ट की धारा-5/180 का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 38/13 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03- आरोपी देवसिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181 एवं आरोपी उमर मोहम्मद खान के विरुद्ध धारा-5/180 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त कथन धारा-313 द.प्र.सं. में स्वयं को झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपी देवसिंह मरकाम ने घटना दिनांक 20.03.2014 को समय 06:15 बजे ग्राम मंजीटोला फूलचंद की किराना दुकान के सामने अंतर्गत थाना बैहर लोकमार्ग पर वाहन याम्हा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी. 02-5919 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी देवसिंह मरकाम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन याम्हा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.02-5919 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाते हुये आहत रेमनलाल को टक्कर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

3. क्या आरोपी देवसिंह मरकाम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन याम्हा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.02-5919 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाते हुये आहत पुनिल कुमार को टक्कर मारकर उसके दातों को तोड़कर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

4. क्या आरोपी देवसिंह मरकाम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन याम्हा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.02-5919 को बिना किसी वैध लायसेंस के चलाया ?

5. क्या आरोपी उमर मोहम्मद खान ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को यह जानते हुये कि आरोपी देवसिंह के पास वाहन

चलाने का लायसेंस नहीं है, फिर भी उसे वाहन चलाने दिया ?

-:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 एवं 03

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी पुनील अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। घटना दिनांक 20.03.13 के शाम के 7:00 बजे की है। वह अपनी मोटर सायकिल डिस्कवर से अपने मामा रेमनलाल के साथ जिला मण्डला गया था और वहां से वापस अपने घर ग्राम जगला आ रहा था। गाड़ी को वह चला रहा था। जैसे ही मुक्की पहुंचा और मुक्की गेट को कास किया, वैसे ही एक मोटर सायकिल जिसका नंबर एम.पी.02-5919 है, का चालक गाड़ी को तेज गति से चला कर उसे ठोकर मार दिया था, जिससे उन लोग गाड़ी सहित गिर गये थे। चोट लगने से उसके दात टूट गये थे एवं उसके मामा को भी चोट आई थी एवं उसकी गाड़ी भी टूट-फूट हो गई थी। एक्सीडेंट के बाद उसको ग्राम रजमा के जंगल में छोड़ दिये थे। घटना की रिपोर्ट बैहर थाना में किया था, उसकी रिपोर्ट प्रपी-1 है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसका एक्सीडेंट आरोपी चालक की गलती से हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटनास्थल पर रास्ता उबड़-खाबड़ है, रास्ता खराब होने के कारण दुर्घटना हुई थी, घटनास्थल पर मोड़ होने के कारण दुर्घटना हुई थी, घटना उसकी गलती के कारण घटित हुई थी, वह अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराया है, आरोपी को झूठा फसाया है तथा उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी।

06— साक्षी रेमनलाल अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है एवं प्रार्थी पुनील को भी पहचानता है। घटना दिनांक 20.03.13 को मुक्की के आगे शाम के समय करीब 7:00 बजे की है। वह अपने भांजे पुनील के साथ मण्डला से वापस मण्डई आ रहा था और गाड़ी को उसका भांजा पुनील चला रहा था। आरोपी ने बिना सिग्नल दिये मोड़कर उनकी गाड़ी को टकरा दिया था, जिससे वह और उसका भांजा पुनील गाड़ी सहित गिर गये थे, जिससे उसके पैर और हाथ पर चोटें आई थी। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, उस गाड़ी का नम्बर एम.पी.02-5919 था। उक्त दुर्घटना आरोपी चालक की गलती से हुई थी। आरोपी गाड़ी को तेज गति से चला रहा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्रपी-2 बनाये थे।

07— साक्षी रेमनलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है

कि इसी प्रकरण से संबंधित प्रार्थी पुनील के विरुद्ध भी प्रकरण चल रहा है। साक्षी के अनुसार उसे प्रकरण चल रहा है इसकी जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि जिस गति से वाहन चलता है उसी गति से वाहन को आरोपी चला रहा था। साक्षी के अनुसार आरोपी तेज गति से चला रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी पुनील मोटर सायकिल चला रहा था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुनील गाड़ी को लापरवाहीपूर्वक चला रहा था तथा प्रार्थी की गलती छुपाने के कारण उसने प्रार्थी से कहकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी उसका सगा भांजा है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्रार्थी उसका सगा भांजा है, इसलिए प्रार्थी के बताये अनुसार कथन कर रहा है, उक्त घटना आरोपी की गलती से घटित हुई थी, उक्त घटना प्रार्थी की गलती से हुई थी, मोड़ होने के कारण घटित हुई थी, घटना के स्थान पर रोड़ खराब होने के कारण घटित हुई थी। यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने मौका-नक्शा थाने पर बैठकर बनाया था। साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर बनाये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मौका-नक्शा में उसके हस्ताक्षर नहीं है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसके हस्ताक्षर मौका-नक्शा में इसलिए नहीं है, क्योंकि मौका-नक्शा उसके समक्ष नहीं बनाये थे।

08— साक्षी फूलचंद अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपी देवसिंह एवं आहतगण को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 20.03.13 को शाम के 6:45 बजे जब वह अपनी दुकान पर था, उस समय सड़क पर मोटर सायकिल से दुर्घटना हुई थी, उक्त दुर्घटना के आहतगण को चोट आई थी तथा उक्त मोटर सायकिल को आरोपी देवसिंह चला रहा था।

09— साक्षी प्रेमसिंह उड़के अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपी देवसिंह को जानता है। वह प्रार्थी रमनलाल को नहीं जानता है। उसके समक्ष देवसिंह से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी और ना ही उसने उसमें कोई हस्ताक्षर किया था। उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी पत्रक पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष दिनांक 21.03.13 को देवीसिंह मरकाम के घर से एक कत्था कलर की मोटर सायकिल जिसका क्रमांक एम.पी.02/5919 है, पुलिस ने मय दस्तावेजों के देवीसिंह के पेश करने पर जप्त किया था, जो प्रपी-06 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उक्त दिनांक को ही पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी देवीसिंह मरकाम को गिरफ्तार किया था, किन्तु उसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह पढ़ा लिखा है और वह अच्छे से जानता है कि बिना पढ़े लिखे किसी

भी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए।

10— साक्षी पवन अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह आरोपी देवसिंह तथा आरोपी उमर मोहम्मद को जानता है। घटना वर्ष 2013 की है, वह अपनी मील के अंदर था, आवाज आने पर वह दौड़कर गया और देखा कि मोटर साईकिल से दो लोगों का ऐक्सीडेंट हो गया था। दोनों गिरे पड़े थे, उनको चोटें आयी थी। फिर गांव वाले आये थे, तब वह अपनी मील में अंदर चला गया था। उसने उस मोटर साईकिल का नम्बर नहीं देखा था। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि जिन लोगों को चोटें आयी थी, उन लोगों का नाम आज उसे याद नहीं है, मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी02-5919 के चालक ने उनकी गाड़ी को ठोस मार दिया था, जिससे उन्हें चोट आयी थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि गांव के लोगों ने उठाकर ईलाज हेतु बैहर अस्पताल पहुंचाये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखा है, उसने घटना नहीं देखा, इसलिए दुर्घटना किस प्रकार एवं किसकी गलती से घटित हुई थी, वह नहीं बता सकता।

11— साक्षी डॉ० एल.एन.एस. कुमरे अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 20.03.13 को शासकीय अस्पताल बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उस दिन उसके द्वारा एक सूचना टी.आई. बैहर को दी गयी, जिसमें लेख है कि आहत पुनील को भर्ती किया गया था। लाने वाले के अनुसार रोड़ ऐक्सीडेंट से चोट आयी थी, आहत होस में था, जो प्रपी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त एफ.आई.आर. के आधार पर थाना बैहर से आरक्षक रोहित नम्बर 1250 द्वारा आहत पुनील का परीक्षण करवाया गया, जिसे निम्न चोटें आई थी। चोट क्र.01-लेसरेटेड वुंड दाहिने आई ब्रो पर, चोट क्र.02-कंट्यूजन नाक के नीचे चेहरे पर, चोट क्र.03-लेसरेटेड वुंड नाक के नीचे चेहरे पर होना पाया था, चोट क्र.04-इंसाईजर टीथ उपरी जबड़े का टूटना पाया था एवं चोट क्र.05-एब्रेजन दाहिने कान के पीछे होना पाया था। जनरल कंडीशन में पेसेन्ट होश में था, हृदय तंत्र एवं स्वसन तंत्र नियमित चल रहे थे। उसके मतानुसार चोट क्र.01 से 03 के लिए एक्स-रे की सलाह दी गयी थी। अन्य सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। चोट क्र.04 के लिए डेंटल सर्जन से सलाह ली गयी थी। उक्त चोटें उसकी जांच के बारह घंटे के अंदर की थी, चोटों में टांके लगाये गये थे। ऑब्जरवेशन हेतु भर्ती किया गया था। उक्त रिपोर्ट प्रपी-04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत पुनील की एक क्वेरी रिपोर्ट थाना बैहर से प्राप्त हुई थी, जिसमें उससे पूछा गया था कि चोट क्रमांक 04 में जो दांत का टूटना बताया गया है, क्या वह ऐक्सीडेंट के द्वारा उक्त चोटें आयी थी। उक्त रिपोर्ट प्रपी-05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि व्यक्ति अनियंत्रित होकर स्वयं गिरे तो ऐसी चोटें आ

सकती है, गाड़ी से गिरने से उक्त चोटें आ सकती है, उसकी रिपोर्ट उसने पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर बनाई थी तथा उसने आहत का कोई परीक्षण नहीं किया है।

12— साक्षी लक्ष्मीचंद चौधरी अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह दिनांक 20.03.2013 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर उसके द्वारा थाना प्रभारी के आदेशानुसार अपराध क्रमांक 20/13 अंतर्गत धारा-279, 337 भा.दं.वि. एवं 184 मो.व्ही. एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की गई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक 21.03.2013 को घटनास्थल पर जाकर गवाह रेमनलाल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 21.03.2013 को उसके द्वारा साक्षी फूलचंद, रेमनलाल, पवन तथा दिनांक 02.04.2013 को साक्षी पुनीत कुमार के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे।

13— साक्षी लक्ष्मीचंद चौधरी अ.सा.07 के अनुसार दिनांक 21.03.2013 को आरोपी देवसिंह मरकाम के द्वारा साक्षी रेमनलाल, प्रेमसिंह के समक्ष याम्हा मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी.02.5919 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी देवसिंह को समक्ष गवाह रेमनलाल एवं प्रेमसिंह के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.07 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी देवसिंह के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा वाहन मालिक उमर मोहम्मद को धारा-133 मो.व्ही. एक्ट का नोटिस प्र.पी.08 दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त नोटिस का जवाब वाहन मालिक द्वारा दिया गया था, जो प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर वाहन मालिक उमर मोहम्मद के हस्ताक्षर हैं, जिसमें उसने बताया था कि घटना के समय उक्त वाहन को आरोपी देवसिंह चला रहा था। दिनांक 20.03.2013 को मुर्तजर पुनीत एवं आहत रेमनलाल को आई चोटों का शासकीय अस्पताल में मुलाहिजा करवाया गया था, जिसमें आहत रेमनलाल ने अपनी चोटों का मुलाहिजा नहीं कराना लिखकर दिया था।

14— साक्षी लक्ष्मीचंद चौधरी अ.सा.07 के अनुसार विवेचना दौरान प्रकरण में आरोपी का ड्रायविंग लायसेंस न होने तथा बिना लायसेंसधारी को वाहन चलाने देने से धारा-3/181, 5/180 मो.व्ही. एक्ट का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन उसके द्वारा थाना प्रभारी को प्रस्तुत कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट अपने मन से लेख की थी, उसने आरोपी से किसी प्रकार की जप्ती की कार्यवाही नहीं किया था, उसने गवाहों के बयान अपने मन से लेखबद्ध कर लिया था, उसने वाहन

मालिक को नोटिस नहीं दिया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि मौके पर जाने का उसने रवानगी एवं वापसी रोजनामचा सान्हा प्रकरण में संलग्न नहीं किया है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह मौके पर नहीं गया था, इसलिये रवानगी एवं वापसी का उल्लेख नहीं है, उसने मौका नक्शा थाने में बैठकर तैयार किया था तथा उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज किया है।

15— उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की हैं। वाहन पर सवार दोनों आहतगण ने विरोधाभासी कथन किये हैं। साक्षी पुनील अ.सा.01 के अनुसार अभियुक्त के द्वारा वाहन को तेज गति से चलाकर उसे ठोकर मार दी गई थी, जबकि रेमनलाल अ.सा.02 के अनुसार अभियुक्त ने बिना सिग्नल दिये वाहन को मोड़ दिया था, जिससे उनकी गाड़ी टकरा गई थी। उसके अतिरिक्त किसी भी साक्षी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा आहत पुनील को उपहति कारित किया तथा रेमनलाल को घोर उपहति कारित किया। फलतः अभियुक्त देवसिंह मरकाम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अपराध के आरोपों में दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 04 एवं 05 का निष्कर्ष:-

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

16— विवेचक साक्षी लक्ष्मीचंद चौधरी अ.सा.07 के अनुसार उसके द्वारा दिनांक को वाहन मालिक उमर मोहम्मद खान को धारा 133 मो.व्ही.एक्ट का नोटिस दिया गया था, जिसमें उसने बताया था कि उसने अपना उक्त वाहन देवसिंह मरकाम को चलाने के लिए दिया था, जो प्र.पी.09 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान आरोपी का ड्रायविंग लायसेंस न होने तथा बिना लायसेंसधारी को वाहन चलाने देने से धारा-3/181, 5/180 मो.व्ही.एक्ट का ईजाफा किया गया था। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट किये गये हैं। दुर्घटना के समय वैध अनुज्ञप्ति होने के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, क्योंकि विवेचक साक्षी द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को अस्वीकार किया गया है, परन्तु अभियुक्त

द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन दर्शित है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त देवसिंह मरकाम द्वारा घटना के समय वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाया गया एवं वाहन मालिक अभियुक्त उमर मोहम्मद खान द्वारा घटना के समय उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के व्यक्ति द्वारा चलवाया गया। फलतः अभियुक्त देवसिंह मरकाम को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181 तथा अभियुक्त उमर मोहम्मद खान को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-5/180 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

17- अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधानों का लाभ देना अथवा उनके विरुद्ध नर्म रख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उन्हें एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।

18- अतः अभियुक्त देवसिंह मरकाम को मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181 के अपराध के लिए कमशः 500/-(पाच सौ) रुपये तथा अभियुक्त उमर मोहम्मद खान को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-5/180 के अपराध के लिये 1,000/-(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्तगण को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

19- अभियुक्तगण प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहे है। उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

20- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

21- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन याम्हा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी. 02-5919 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

22- अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही/-

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)

सही/-

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)